बिनानी ब्रो (पी.) लिमिटेड।

बनाम

भारत संघ और अन्य

11 दिसंबर, 1973

[मुख्य न्यायाधीश, ए.एन. रे, एच. आर. खन्ना, के. के. मैथ्यू,

ए. अलगिरिस्वामी और पी.एन. भगवती, न्यायमूर्तिगण]

भारत का संविधान, आर्टिकल–286– इस अभिव्यक्ति का अर्थ, "भारत में आयात के दौरान माल कि बिक्री या खरीद"।

1969 के रिट पिटिशन संख्या 92 में, याचिकाकर्ता कंपनी ने संविधान के आर्टिकल 31(1) के तहत गरंटीकृत अपने मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए उचित निर्देश या आदेश करने कि प्रार्थना की। तथ्य इस प्रकार हैं:

याचिकाकर्ता कंपनी अलौह धातुओं की डीलर थी और महानिदेशालय आपूर्ति एवं निपटान का एक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता था। कंपनी पश्चिम बंगाल में भी रजिस्टर्ड डीलर थी। याचिकाकर्ता डीगीएस एवं डी से अपने अनुबंधों को पूरा करने के लिए विभिन्न देश से आयात और देश के भीतर अलोह धातु प्राप्त करता था। अलौह धातुओं का आयात खुले में सामान्य लाइसेंस के तहत था जो कि 30 जून 1957 तक था। इसके बाद, भारत सरकार द्वारा लाइसेंसिंग प्रणाली शुरू की गई थी और याचिकाकर्ता को उनके पिछले आयातों के आधार पर अपना कोटा तय करने के लिए कहा गया। 2 अप्रैल 1958 को भारत सरकार ने अलौह धातुओं का नियंत्रण आदेश, 1958 जिसके आधार पर तांबे की निःशुल्क बिक्री पर रोक लगाई। लाइसेंस धारकों द्वारा ही अलौह धातु तांबे का कोई भी नियंत्रक के निर्देशों के तहत आयात किया जा सकता था।

अलौह धातु नियंत्रण आदेश, 1958 के तहत, और आयात व्यापार विनियमों के तहत, स्थापित आयातक अपने द्वारा आयातित धातुओं को बेचने के लिए यहां तक कि डीजीएसएंडडी को भी अपने कोटे के तहत भी बेचने के लिए लिए स्वतंत्र नहीं थे। याचिकर्ता ने डीजीएसएंडडी को आपूर्ति करने के लिए अतिरिक्त आयात लाइसेंस प्राप्त करने थे।

याचिकाकर्ता ने गैर आयातीत धातुओं के लिए कोटा लाइसेंस प्राप्त किया जो अप्रैल 1964 से मार्च 1964 तक कि लाइसेंस अवधि के लिए था; लेकिन आयात केवल नियंत्रक के निर्देशों के तहत वितरित किया जाना था।

14 सितम्बर, 1965 को भारत सरकार ने दुर्लभ औद्योगिक सामग्री नियंत्रण आदेश 1965 भारत के रक्षा नियम के तहत प्रख्यापित किया। अलौह धातुओं के स्टॉक सहित इस प्रकार आने वाले

आयात रोक दिए गए। अलौह धातुएँ नियंत्रण आदेश 1958 और दुर्लभ औद्योगिक सामग्री नियंत्रण आदेश 1965 दोनों निरस्त कर दिये गये। भारत सरकार ऑर्डर देने में याचिकाकर्ता को अनुबंध की शर्तों के अनुसार आयात लाइसेंस देता था।

याचिकाकर्ता पिछले 19 वर्षों से अलौह का आयात और आपूर्ति प्रतिवादी 1, 2 और 3 को कर रहा था। प्रतिवादी नंबर 2 भुगतान करने के लिए सहमत हो गया था और भुगतान कर रहा था केंद्रीय बिक्री कर और/या पश्चिम बंगाल बिक्री कर, के अनुसार जो भी हो अनुबंध की शर्तों के अनुसार याचिकाकर्ताओं पर लागू था।

1966 में सुप्रीम कोर्ट ने के जी खोसला एंड कंपनी बनाम. डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ कमर्शियल टैक्स [1966] 3 एससीआर 352 में प्रतिपादित किया कि खोसला एंड कंपनी द्वारा भारत में डीजीएस एंड डी को – बेल्जियम में उनके प्रिंसिपल द्वारा निर्मित बॉक्स बॉडी एक्सल बॉक्स की बिक्री आयात के दौरान माल की आवाजाही का अवसर पर लेन–देन पर बिक्री कर केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 की धारा 5(2), और आर्टिकल 286 का संविधान से देय नहीं था।

इसके बाद, प्रत्यर्थी संख्या 2 ने प्रत्यर्थी संख्या 4 को एक आदेश जारी किया कि दुकानों की आपूर्ति के संबंध में बिक्री कर की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जो विशेष रूप से डी. जी. एस. एंड डी. प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा किए गए अनुबंधों के विरुद्ध आयात किया गया। उक्त आदेश पर प्रत्यर्थी सख्या 4 के द्वारा आदेश की शर्तें, रुपये 60,780 रुपये काट ली गईं। जो कि पहले से ही बिक्री कर का भुगतान किया जा रहा है याचिकाकर्ता के लंबित बिल और 2 लाख का भुगतान प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा अनुबंधों के संबंध में बिक्री कर के रूप में किया जाता है। जिसे पहले ही दिया जा चुका था, को भी वसूली करने की धमकी भी दी।

इसके बाद याचिकाकर्ता ने पश्चिम बंगाल में बिक्री कर प्राधिकरणों से संपर्क किया और लंबित आकलनों में संशोधित विवरणी दाखिल की और करों की वापसी का दावा किया जो कि, खोसला मामले में फैसले के आधार पर, बिक्री को आयात के दौरान किया गया माना गया।

पश्चिम बंगाल बिक्री कर अधिकारियों का मानना था कि दो बिक्री हुई थी, एक, जबरन विक्रेता द्वारा याचिकाकर्ता को और दूसरा, याचिकाकर्ता द्वारा डी. जी. एस. एंड डी. और यह कि डी. जी. एस. और डी. और विदेशी के बीच अनुबंध की कोई गोपनीयता नहीं थी। किसी भी व्यक्ति या देश से माल का आयात करें और यह कि आयात लाइसेंस जारी किए गए हैं आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय के साथ लगाए गए अनुबंधों के खिलाफ याचिकाकर्ता पर डी. जी. एस. एंड डी. को माल की आपूर्ति करने का कोई दायित्व नहीं है। आयात किया गया था, इसलिए, उन्होंने माना कि कर द्वारा बिक्री पर प्रत्यक्ष कर था डी. जी. एस. एंड डी. के याचिकाकर्ता जो प्रश्न विचार के लिए उठे थे वे थेः (i) क्या आदेश के आधार पर, प्रतिवादी संख्या 4, रु 60,780/– की कटौती करने का हकदार था। (ii) क्या याचिकाकर्ता का 2 लाख रुपये से अधिक की अतिरिक्त राशि की वसूली करने के लिए प्रतिवादी का दावा उचित था।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि कंपनी ने डी.जी.एस.एंड.डी को जो बिक्री की, उसके दौरान किसी भी सामान की आवाजाही नहीं हुई। आयात क्योंकि वे बिक्री कंपनी द्वारा विदेशी विक्रेताओं के साथ की गई खरीद के अनुबंधों से अलग और अलग थीं, जो अकेले आयात के दौरान माल की आवाजाही का कारण बनती थीं, याचिकाकर्ता द्वारा डी.जी.एस. एंड डी. को की गई बिक्री पर कर देय था, और इसलिए, खोसला के मामले में निर्णय का यहां तथ्यों पर कोई अनुप्रयोग नहीं है।

रिट याचिकाओं को अनुमति दी गई।

अभिनिर्धारित : (i) अनुच्छेद 286(1)(बी) में प्रावधान है कि किसी राज्य का कोई भी कानून कर नहीं लगाएगा माल की बिक्री या खरीद जहां ऐसी बिक्री या खरीद होती है भारत में वस्तुओं के आयात या निर्यात का। निर्यात द्वारा बिक्री में विदेशी खरीदार के साथ बिक्री के समझौते से शुरू होने वाली एकीकृत गतिविधियों की एक श्रृंखला शामिल होती है और बाहर परिवहन के लिए एक सामान्य वाहक को माल की डिलीवरी के साथ समाप्त होता है भूमि या समुद्र द्वारा देश की और ऐसी बिक्री को उस निर्यात से अलग नहीं किया जा सकता है जिसके बिना इसे लागू नहीं किया जा सकता है, और इन दो एकीकृत गतिविधियों के एकल लेनदेन के कुछ हिस्सों से बिक्री या परिणामी निर्यात जो एक साथ एक निर्यात बिक्री का गठन करते हैं।

त्रावणकोर कोचीन और अन्य राज्य बनाम द बॉम्बे कंपनी लिमिटेड [1952] एस. सी. आर. 1112, संदर्भित किया गया है

(ii) 'एकीकृत गतिविधियाँ' शब्दों का पहले के मामला प्रयोग यह दर्शाने के लिए था कि ऐसी बिक्री (अर्थात ऐसी बिक्री जो अवसरों पर निर्यात) को निर्यात से अलग बिना इसे क्रियान्वित किए नहीं किया जा सकता, और बिक्री और परिणामी निर्यात एकल लेन–देन के कुछ हिस्सों से बनता है, और उस मामले में बिक्री और निर्यात को एकीकृत कहा गया था।

त्रावणकोर कोचीन राज्य में पतंजलि शास्त्री सी. जे. और अन्य के अनुसार वी. शामुघा विलास काजू कारखाना और अन्य। [1954] एस. सी. आर. 53 का उल्लेख किया गया।

(iii) इससे पहले 'आयात के क्रम में' अभिव्यक्ति की कोई परिभाषा नहीं थी। बाद में संसद ने संविधान का छठा संशोधन में अभिव्यक्ति को विधायी अर्थ दिया धारा 5(2), केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि भारत में आयात के दौरान वस्तुओं की बिक्री या खरीद– ऐसा माना जाता है कि बिक्री या खरीद या तो इस तरह के आयात के अवसर पर होती है या माल के भारत की सीमा शुल्क सीमाओं को पार करने से पहले स्वामित्व के दस्तावेजों के हस्तांतरण से प्रभावित होती है।

(iv) वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता ने प्रिंसिपल के रूप में डीजीएसएंडडी को बिक्री का आवेदन किया। बिक्री को प्रभावित करने के लिए, याचिकाकर्ता को विदेशी विक्रेताओं से सामान खरीदना पड़ा और यह क्या ये खरीदारी विदेशी विक्रेताओं से की गई थी? आयात के दौरान माल की आवाजाही में बाधा उत्पन्न हुई। दूसरे शब्दों में, माल की आवाजाही का अवसर खरीद के लिए अनुबंध था, जो

याचिकाकर्ता ने विदेशी विक्रेताओं के साथ दर्ज किया था। जिसमे माल की आवाजाही नहीं आयात का सिलसिला अनुबंधों के अनुसरण में हुआ। याचिकाकर्ता द्वारा डीजीएसएंडडी के साथ की गई बिक्री याचिकाकर्ता की डीजीएसएंडडी को बिक्री अलग–अलग थी। विदेशी विक्रेताओं से उसकी खरीद से डीजीए एंडडी और विदेशी के बीच अनुबंध की गोपनीयता नहीं थी। विदेशी विक्रेताओं ने कोई अनुबंध नहीं किया व स्वयं या याचिकाकर्ता की एजेंसी के माध्यम से डीजीएसएंडडी और विदेशी माध्यम से माल की आवाजाही देशों द्वारा बिक्री के कारण अवसर नहीं दिया गया था। याचिकाकर्ता व डीजीएसएंडडी के बीच भले ही अनुबंध हो, याचिकाकर्ता और डीजीएसएंडडी ने आयात को उनकी आपूर्ति माल आयात किया जाता है, यह पालन नहीं किया गया।

मूल क्षेत्राधिकार: 1969 की रिट याचिका संख्या 39 और 92

मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत।

याचिकाकर्ताओं की ओर से *वी. एम. तारकुंडे, जी. आर. चोपड़ा* और *सी. एम. कोहली।*

गोबिंद दास और एस. के. नायर, उत्तरदाताओं के लिए (डब्ल्यू.पी संख्या 39/69) और उत्तरदाताओं संख्या 1–4 (डब्ल्यू. पी. सं. 92/69) में।

पी. के. चटर्जी और जी. एस. चटर्जी, उत्तरदाताओं के लिए संख्या 5–6 (डब्ल्यू.पी.सं. 92/69) में।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा सुनाया गया ।

न्यायमूर्ति, मैथ्यू – ये संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिकाएं हैं जिनमें संविधान के अनुच्छेद 31(1) के तहत याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए उचित निर्देश या आदेश जारी करने की प्रार्थना की गई है।

याचिकाओं में उठाया सवाल उठाया गया है कि हम 1969 की रिट याचिका संख्या 39 के निर्णय से निपटने का प्रस्ताव करते हैं, 1969 की रिट संख्या 92 को नियंत्रित और निपटाया जाएगा।

याचिकाकर्ता भारतीय कंपनी अधिनियम , 1913 के तहत निगमित कंपनी है। इसका पंजीकृत कार्यालय कलकत्ता में है और एक शाखा कार्यालय बिनानी हाउस, खुंडी कटरा, मिर्ज़ापुर, यूपी में है। याचिकाकर्ता एक आयातक और जस्ता जैसी अलौह धातुओं का डीलर है। , सीसा, तांबा, टिन, आदि और आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय में पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं की अनुमोदित सूची में है, जिसे इसके बाद डीजीएसएंडडी के रूप में जाना जाएगा। यह बंगाल वित्त अधिनियम, 1941 और केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के तहत पश्चिम बंगाल राज्य में एक पंजीकृत डीलर भी है। याचिकाकर्ता डीजीएसएंडडी के माध्यम से भारत सरकार के साथ अपने अनुबंध को पूरा करने के लिए विभिन्न देशों से और देश के भीतर से भी अलौह धातुओं की खरीद करता था। अलौह धातुओं का आयात 30 जून, 1957 तक खुले समान्य लाइसेन्स के तहत था। इसके बाद, भारत सरकार द्वारा एक लाइसेंसिंग प्रणाली

शुरू की गई और स्थापित व्यापारियों, को याचिकर्ता सहित को याचिककर्ता सहित अपना कोटा तय करने के लिए कहा गया। उनके पिछले आयातों के आधार पर 2 अप्रैल, 1958 को, भारत सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम,1951 के तहत अलौह धातु नियंत्रण आदेश, 1958 प्रख्यापित किया था। जिसके आधार पर तांबे की मुफ्त बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। स्थापित लाइसेंस धारकों द्वारा तांबे का कोई भी आयात अलौह धातुओं के नियंत्रक के निर्देशों के तहत वितरित किया जाना था। अलौह धातु नियंत्रण आदेश, 1958 के तहत और आयात व्यापार विनियमों के तहत, स्थापित आयातक अपने कोटा लाइसेंस के विरुद्ध आयातित धातुओं को डीजीएस एंड डी को भी बेचने के लिए स्वतंत्र नहीं थे। याचिकाकर्ता को डीजीएसएंडडी को आपूर्ति प्रभावित करने के लिए अतिरिक्त आयात लाइसेंस प्राप्त करना पड़ा। आयात व्यापार नियंत्रण नीति के तहत, याचिकाकर्ता सहित स्थापित आयातकों ने अप्रैल, 1964–मार्च, 1965 तक की लाइसेंस अवधि के लिए अलौह धातुओं के आयात के लिए कोटा लाइसेंस प्राप्त किया। लेकिन यहां उल्लिखित आयात केवल अलौह धातु नियंत्रक या आयात व्यापार नियंत्रण प्राधिकरण के निर्देशों के तहत वितरित किया जाना था। भारत सरकार ने भारत की रक्षा नियमों के तहत की दुर्लभ औद्योगिक सामग्री नियंत्रण आदेश, 1965 को 14 सितंबर 1965 को प्रख्यापित किया। इस प्रकार आने वाले आयात सहित अलौह धातुओं के स्टॉक जमे हुए थे। अलौह धातु नियंत्रण आदेश, 1958 को निरस्त कर दिया गया। दुर्लभ औद्योगिक सामग्री नियंत्रण आदेश, 1965 को भी 6 जून, 1966 को निरस्त कर दिया गया था। भारत सरकार, याचिकाकर्ता के साथ आदेश देते समय अनुबंध के संदर्भ में आयात लाइसेंस प्रदान करती थी। याचिकाकर्ता पिछले 19 वर्षों के दौरान उत्तरदाताओं 1, 2 और 3 को अलौह धातुओं का आयात और आपूर्ति कर रहा था। प्रतिवादी संख्या 2 भुगतान करने के लिए सहमत हो गया था और केंद्रीय बिक्री कर और/या पश्चिम बंगाल बिक्री कर, जो भी अनुबंध के संदर्भ में याचिकाकर्ता पर लागू था, का भुगतान कर रहा था। 1966 में इस न्यायालय ने *केजी खोसला एंड कंपनी बनाम वाणिज्यिक कर उपायुक्त*[1] (इसके बाद खोसला केस के रूप में कहा गया है) मे अभिनिर्धारित किया है कि, खोसला एंड कंपनी द्वारा बेल्जियम में निर्मित एक्सल–बॉक्स बॉडी की भारत में डीजीएसएंडडी को बिक्री, उनके प्रिंसिपल द्वारा आयात के दौरान माल की आवाजाही के कारण और लेन–देन को ध्यान में रखते हुए धारा 5(2) केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के तहत नहीं लगाया गया। इस निर्णय के आधार पर, प्रतिवादी संख्या 2 ने एक आदेश (अनुलग्नक पी–1) सभी संबंधित प्राधिकारियों, प्रतिवादी संख्या 4 सहित जारी किया अर्थात् वेतन और लेखा अधिकारी, कार्य, आवास और आपूर्ति मंत्रालय को निर्देश देते हुए कि दुकानों की आपूर्ति के संबंध में बिक्री कर की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जिसे विशेष रूप से किया गया है। डीजीएसएंडडी द्वारा रखे गए अनुबंधों के विरुद्ध आपूर्ति के लिए डीजीएसएंडडी या राज्य व्यापार निगम जैसे अन्य प्राधिकरणों द्वारा जारी किए गए आयात अनुशंसा प्रमाणपत्रों के आधार पर आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक द्वारा जारी लाइसेंस के खिलाफ आयात किया जाता है। वेतन एवं लेखा अधिकारी, अनुलग्नक पी–1 पर कार्रवाई करते हुए सभी पुराने अनुबंधों के तहत उत्तरदाताओं द्वारा भुगतान की गई बिक्री कर की राशि को मौजूदा बिलों से काट लिया गया, जो याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। प्रतिवादी संख्या 4 ने वास्तव में रुपये 60,780/– की राशि काट ली और बकाया बिलों का भुगतान करने के साथ ही रुपये 2,35,130.01 वसूलने की भी धमकी के संबंध में प्रतिवादी संख्या 2 को बिक्री कर के रूप में भुगतान की गई राशि है।

जो अनुबंध थे, वे पहले ही निष्पादित हो चुके थे। 27 अक्टूबर, 1962 को समाप्त होने वाले वर्ष तक याचिकाकर्ता पर मूल्यांकन, खोसला मामले में फैसले की तारीख और अनुबंध पी–1 पर आदेश जारी होने से पहले पूरा कर लिया गया था। याचिकाकर्ता को जब अनुलग्नक पी–1 आदेश के बारे में पता चला, तो उसने पश्चिम बंगाल में बिक्री कर अधिकारियों से संपर्क किया और लंबित मूल्यांकन में संशोधित रिटर्न दाखिल किया और बिक्री पर भुगतान किए गए करों की वापसी का दावा किया, बिक्री को इसमें की गई बिक्री माना। खोसला मामले में फैसले के आधार पर आयात की प्रक्रिया। पश्चिम बंगाल बिक्री कर अधिकारियों ने यह विचार किया कि विचाराधीन लेनदेन में दो बिक्री शामिल थीं, अर्थात्, विदेशी विक्रेताओं द्वारा याचिकाकर्ता को बिक्री और याचिकाकर्ता द्वारा डीजीएसएंडडी को बिक्री, कि डीजीएसएंडडी और विदेशी विक्रेताओं के बीच अनुबंध की कोई गोपनीयता नहीं थी, कि याचिकाकर्ता, उसे दिए गए आयात लाइसेंस के तहत, किसी भी व्यक्ति या देश से माल आयात करने का हकदार था और आयात लाइसेंस उसके साथ अनुबंध के विपरीत जारी किए गए थे। डीजीएसएंडडी ने आयातित होने के बाद याचिकाकर्ता पर डीजीएसएंडडी को माल की आपूर्ति करने का कोई दायित्व नहीं लगाया। इसलिए, उन्होंने माना कि याचिकाकर्ता द्वारा डीजीएसएंडडी को की गई बिक्री पर कर देय था।

विचार के लिए जो प्रश्न उठते हैं, वे हैं यह है कि क्या अनुलग्नक पी–1 आदेश के आधार पर, प्रतिवादी संख्या 4 रु 60,780/– रुपये की कटौती का लंबित बिलों के संबंध में याचिकाकर्ता को देय राशि में से कटौती का हकदार था और क्या याचिककर्ता द्वारा उत्तरदाताओं का 2,35,130.01 रुपये की अतिरिक्त राशि वसूलने का दावा उचित है?

याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि लेन–देन विचाराधीन, अर्थात्, वह बिक्री जो याचिकाकर्ता ने डी.जी.एस.एंडडी. को की थी, क्या वह बिक्री नहीं थी,जो माल की आवाजाही आयात की प्रक्रिया का कारण बनी और क्योंकि वे बिक्री याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए खरीद आलग और विशिस्ट थी। जो याचिककर्ता ने डी.जी.एस.एण्ड.डी की अनुबंधों से विदेशी विक्रेता जो अकेले माल की आवाजाही का कारण बने आयात के क्रम में, बिक्री के लेन–देन पर कर लागू था याचिकाकर्ता ने डी.जी.एस.एंड.डी. और इसलिए खोसला मामले में लिया गया निर्णय यहाँ के तथ्यों पर लागू नहीं होता है।

अनुच्छेद 286(1)(बी) प्रदान करता है:

"286. (1) किसी राज्य का कोई भी कानून माल की बिक्री या खरीद पर कर नहीं लगाएगा, या लगाने का अधिकार नहीं देगा, जहां ऐसी बिक्री या खरीद होती है–

(बी) भारत के क्षेत्र में माल के आयात या बाहर माल के निर्यात के दौरान"।

त्रावणकोर राज्य में कोचीन और अन्य बनाम द बॉम्बे कंपनी लिमिटेड[2] पतंजलि शास्त्री, सी.जे. ने कहा कि निर्यात द्वारा बिक्री में बिक्री के समझौते से शुरू होने वाली एकीकृत गतिविधियों की एक श्रृंखला शामिल होती है जो एक विदेशी खरीदार के साथ बिक्री के समझौते से शुरू होती है और भूमि या देश से बाहर परिवहन के लिए एक सामान्य वाहक को माल की डिलीवरी के साथ समाप्त होती है। समुद्र

और ऐसी बिक्री को उस निर्यात से अलग नहीं किया जा सकता जिसके बिना इसे लागू नहीं किया जा सकता है, और बिक्री और परिणामी निर्यात एक ही लेनदेन के हिस्से हैं। इन दो एकीकृत गतिविधियों में से जो एक साथ एक विशेषज्ञ बिक्री का गठन करें, जो भी पहले होता है उसे दूसरे के दौरान होने वाला माना जा सकता है।

त्रावणकोर राज्य कोचीन और अन्य बनाम शनमुघा विलास काजू फैक्ट्री और अन्य [3] में, उसी विद्वान मुख्य न्यायाधीश द्वारा यह देखा गया कि 'एकीकृत गतिविधियाँ' वाक्यांश का उपयोग पिछले निर्णय में 'ऐसी बिक्री' को दर्शाने के लिए किया गया था। (यानी एक बिक्री जो निर्यात का अवसर देती है) "निर्यात से बिना अलग किए जिसे प्रभावित नहीं किया जा सकता है', और बिक्री और परिणामी निर्यात एक ही लेनदेन के हिस्से बनते हैं" और यह उस अर्थ में है कि दो गतिविधियां बिक्री और निर्यात– को एकीकृत करने की बात कही गई।

संविधान के छठे संशोधन से पहले 'आयात के दौरान' अभिव्यक्ति की कोई परिभाषा नहीं थी। उस संशोधन द्वारा, संसद को अभिव्यक्ति की व्याख्या के लिए सिद्धांत तैयार करने की शक्ति प्राप्त है। और, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 5(2) में, संसद ने अभिव्यक्ति को एक विधायी अर्थ दिया है। धारा 5(2) माल की बिक्री या खरीद को आयात के दौरान हुआ माना जाएगा भारत के क्षेत्र में माल की केवल तभी बिक्री या खरीद होती है जब बिक्री या खरीद या तो ऐसे आयात का अवसर देती है या माल के स्वामित्व के दस्तावेजों के हस्तांतरण से प्रभावित होती है, इससे पहले कि माल भारत के सीमा शुल्क सीमाओं को पार कर जाए।

बेन गोर्म नीलगिरी प्लांटेशन कंपनी बनाम सेल्स टैक्स ऑफिसर [4] में, सवाल यह था कि, क्या कोचीन किला में आयोजित चाय कि पेटियो कि नीलामी की बिक्री को अनुच्छेद 286(1)(बी) के आधार पर बिक्री कर से छूट दी गई थी। लेन–देन की प्रकृति इस प्रकार थी कि एक निर्माता चाय बोर्ड से निर्यात कोटा का आवंटन प्राप्त करता है, निर्माता फिर चाय को पेटियो में रखता है जो सार्वजनिक नीलामी में बेची जाती है; फिर विदेशी खरीदारों के एजेंटों या मध्यस्थों द्वारा बोलियाँ लगाई जाती हैं; एजेंट और बिचौलिए निर्यात के लिए केंद्र सरकार से लाइसेंस प्राप्त करते हैं। इस न्यायालय को लेन–देन में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे यह कहा जा सके कि बिक्री और इच्छित निर्यात के बीच एक ही लेन–देन के हिस्से के रूप में कोई बंधन हो । विक्रेताओं को निर्यात से कोई सरोकार नहीं था, बिक्री में निर्यात की कोई बाध्यता नहीं थी और ऐसी संभावना थी कि माल को आंतरिक उपभोग के लिए ले जाया जा सकता है। न्यायालय ने बिक्री को निर्यात के लिए बिक्री माना, न कि निर्यात के दौरान। न्यायालय ने कहा कि निर्यात के अवसर के लिए बिक्री के अनुबंध और वास्तविक निर्यात के बीच में एक ऐसा बंधन होना चाहिए, कि प्रत्येक लिंक उसके ठीक पहले वाले लिंक के साथ अलग से जुड़ा हो और ऐसे बांड के बिना, भारत के क्षेत्र से बाहर माल के निर्यात के दौरान बिक्री को बिक्री का लाभ दिया नहीं जा सकता है। कोर्ट ने आगे कहा कि सामान्य तौर पर जहां बिक्री विक्रेता द्वारा की जाती है, और वह उस निर्यात से जुड़ा नहीं है जो वास्तव में होता है, यह निर्यात के लिए एक बिक्री है और जहां निर्यात बिक्री का परिणाम है, निर्यात अनिवार्य रूप बिक्री के साथ जोड़ा गया ताकि बांड को लेन–देन की प्रकृति से उत्पन्न पार्टियों

के बीच क़ानून, अनुबंध या आपसी समझ से उत्पन्न दायित्व के उल्लंघन से अलग नहीं किया जा सकता, वही बिक्री निर्यात के दौरान मानी जाती है।

खोसला मामले में, निर्धारिती ने एक्सल–बॉक्स बॉडी की आपूर्ति के लिए डीजीएसएंडडी, नई दिल्ली के साथ एक अनुबंध किया। सामान को विशिष्टताओं के अनुसार समान बेल्जियम में निर्मित किया जाना था और डीजीआईएसडी, लंदन या उसके प्रतिनिधि को निर्माताओं के कार्यस्थल पर सामान का निरीक्षण करना था और एक निरीक्षण प्रमाणपत्र जारी करना था। मद्रास में एक और निरीक्षण का प्रावधान किया गया था। निर्धारिती 90 प्रतिशत भुगतान पाने का हकदार था। माल के निरीक्षण और माल भेजने वाले को वितरण तथा शेष 10 प्रतिशत के बाद, परेषिती द्वारा अंतिम स्वीकृति के आधार पर डिलीवरी के मामले में निर्धारिती 90 प्रतिशत का हकदार था। प्रेषण के प्रमाण और 10 प्रतिशत की शेष राशि पर निरीक्षण के बाद भुगतान, माल भेजने वाले द्वारा अच्छी स्थिति में भंडार प्राप्त होने के बाद, निर्धारिती के अनुबंध के निष्पादन और गंतव्य पर माल के सुरक्षित आगमन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार था। अनुबंध में प्रावधान था कि निरीक्षक द्वारा दी गई किसी भी मंजूरी या स्वीकृति के बावजूद, यदि यह पाया जाता है कि माल सभी प्रकार से अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुरूप नहीं है, तो माल भेजने वाला माल को अस्वीकार करने का हकदार है। निर्माताओं ने लदान के बिल के तहत जहाज द्वारा निर्धारिती को माल भेज दिया और माल को निर्धारिती के समाशोधन एजेंटों द्वारा मद्रास हार्बर पर मंजूरी दे दी गई और मद्रास और मैसूर में दक्षिणी रेलवे को डिलीवरी के लिए भेज दिया गया। सवाल यह था कि क्या निर्धारिती द्वारा सरकारी विभागों को की गई बिक्री केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम,1956 की धारा 5(2) के तहत कराधान से आयात और निर्यात के दौरान थी। सीकरी, जे. (जैसा कि वह तब थे) ने न्यायालय का फैसला सुनाते हुए केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 5(2) का उल्लेख करने के बाद कहा कि केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम कि धारा 5(2) का उल्लेख करने के बाद, कि भारत मई माल कि आवाजाही अपीलकर्ता और डीजीएसएंडडी के बीच बिक्री के अनुबंदह के कारण हुई थी। यदि माल कि आवाजाही एक अनुबंध का प्रमाण है या आकस्मिक है, यह बिल्कुल सारधीन है कि वास्तविक बिक्री आयात समाप्त होने के बाद हुई थी।

कॉफ़ी बोर्ड बनाम संयुक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी (5) में , जिसे इसके बाद *कॉफ़ी बोर्ड केस* के रूप में संदर्भित किया गया है, कॉफ़ी बोर्ड ने दावा किया कि मार्च और अप्रैल, 1963 में पंजीकृत निर्यातकों को कॉफ़ी की कुछ बिक्री 'निर्यात के दौरान' की गई बिक्री थी, इस पर मद्रास के सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1959 के तहत नहीं लगाया जा सकता। कॉफी बोर्ड द्वारा बनाए गए नियमों में प्रावधान है कि केवल उन डीलरों को, जिन्होंने खुद को कॉफी बोर्ड या उनके एजेंटों के साथ कॉफी के निर्यातक के रूप में पंजीकृत किया था और जिनके पास इस संबंध में मुख्य कॉफी विपणन अधिकारी से परमिट था, उन्हें नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। और बोली समाप्त होने के बाद, कीमत का भुगतान एक विशेष तरीके से होगी । उन्होंने शर्त संख्या 26 "निर्यात गारंटी" जोड़ी, जो कि नीलामी की एक अनिवार्य शर्त थी कि, वहां बेची जाने वाली कॉफी को कैटलॉग में निर्धारित गंतव्य या उसके बाहर किसी अन्य विदेशी देश में निर्यात किया जाएगा। भारत, जैसा कि मुख्य कॉफी विपणन अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है, जो कि एजेंट द्वारा जारी की गई निविदा की सूचना की तारीख से तीन

महीने बाद और इसे किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य गंतव्य पर नहीं भेजा जाएगा, न ही बेचा जाएगा, न ही निपटाया जाएगा, न ही या अन्यथा भारत में जारी किया जाएगा। शर्त 30 में कहा गया है कि यदि खरीदार निर्धारित समय के भीतर या उसे दिए गए विस्तार की अवधि के भीतर, यदि कोई हो, कॉफी का निर्यात करने में असफल या उपेक्षा करता है, तो वह रुपये 50 प्रति 50 किलो की गणना के अनुसार जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी होगा। जो शर्त 31 के अनुसार उसे देय राशि में से कटौती योग्य होगी। और शर्त 31 में प्रावधान है कि खरीदार द्वारा उपरोक्त कॉफी को निर्धारित समय के भीतर या ऐसे विस्तार के रूप में निर्यात करने में कोई चूक नहीं होगी, जो दी जा सकती है। मुख्य कॉफी विपणन अधिकारी के लिए वैध होगा खरीदार को संदर्भित किए बिना कि गैर–निर्यातित कॉफी को जब्त कर लें और उसे अपने कब्जे में लेना और उसके साथ इस तरह व्यवहार करना जैसे कि वह उनके पूल स्टॉक में रखी गई बोर्ड की कॉफी का हिस्सा और पार्सल हो। इस न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं का मामला यह था कि निर्यात नीलामी में खरीदारी वास्तव में भारत के क्षेत्र से बाहर कॉफी के निर्यात के दौरान कॉफी बोर्ड द्वारा की गई बिक्री थी क्योंकि बिक्री स्वयं कॉफी के निर्यात के अवसर पर हुई थी और इस लिए भारत में बेची गई कॉफी भारत के उपयोग के लिए या भारतीय बाजारों में बिक्री के लिए नहीं था। दूसरी ओर, बिक्री कर अधिकारियों का मामला यह था कि ये बिक्री, कॉफी के निर्यात के साथ अटूट रूप से जुड़ी नहीं थी और इसलिए बिक्री को तमिलनाडु राज्य के भीतर होने वाली बिक्री के रूप में माना जाना चाहिए, मद्रास जनरल सेल्स टैक्स अधिनियम जो बिक्री कर के लिए उत्तरदायी हो। इस न्यायालय ने माना कि बोर्ड दावा की गई छूट का हकदार नहीं है। न्यायालय ने कहा कि 'निर्यात के दौरान बिक्री' वाक्यांश में तीन आवश्यक बातें शामिल हैं, अर्थात् बिक्री होनी चाहिए, माल वास्तव में निर्यात किया जाना चाहिए और बिक्री निर्यात का एक हिस्सा होना चाहिए। न्यायालय ने आगे कहा कि बिक्री के लिए निर्यात का अवसर होना चाहिए और 'अवसर' शब्द का प्रयोग क्रिया के रूप में किया जाता है और इसका अर्थ है 'कारण पैदा करना' या 'तत्काल कारण होना'। न्यायालय का विचार था कि जिस बिक्री को, कर से मुक्त माना जाना चाहिए वह ऐसी बिक्री है जो निर्यात का कारण बनती है या जो निर्यात का तत्काल कारण है, विक्रेता और आयात करने वाले खरीदार के बीच एक मध्यस्थ की शुरूआत लिंक को तोड़ता है, क्योंकि, फिर दो बिक्री होती हैं, एक मध्यस्थ को और दूसरा आयातक को, और पहली बिक्री निर्यात के दौरान नहीं होती है, क्योंकि निर्यात मध्यस्थ से शुरू होता है और आयातक पर समाप्त होता है। न्यायालय के अनुसार परीक्षण यह था कि एक ही बिक्री होनी चाहिए जो स्वयं निर्यात का कारण बनती है और निर्यात के दौरान दो या दो से अधिक बिक्री के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए न्यायालय ने माना है कि हालांकि कॉफी बोर्ड द्वारा बिक्री ये निर्यात के लिए बिक्री थीं, ये निर्यात के दौरान होने वाली बिक्री नहीं थीं, निर्यात कार्यक्रम में बाद कि बिक्री अकेले ही निर्यात के दौरान बिक्री होने के कारण बिक्री कर से छूट प्राप्त कर सकती है।

खोसला केस, यह याद किया जा सकता है कि खोसला एंड कंपनी ने लिए डीजीएसएंडडी के साथ बिक्री का अनुबंध प्रवेश किया था। इसके प्रिंसिपल द्वारा निर्मित एक्सल बॉडी की आपूर्ति के बेल्जियम में खरीदार द्वारा निरीक्षण किया गया था, लेकिन बिक्री के अनुबंध के तहत भारत में खरीदार द्वारा आगे निरीक्षण के बाद सामान को अस्वीकार कर दिया गया। इस अनुबंध के अनुसरण में माल को देश में आयात किया जाता था और पेरम्बूर और मैसूर में खरीदार को आपूर्ति की जाती थी। उच्च न्यायालय के

फैसले में दिए गए मामले के तथ्यों के विवरण से यह स्पष्ट नहीं है कि बेल्जियम में निर्माताओं द्वारा भारत में उनके एजेंट खोसला एंड कंपनी को बिक्री की गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि एकमात्र बिक्री खोसला एंड कंपनी द्वारा बेल्जियम में निर्माता के एजेंट के रूप में की गई बिक्री थी, इस न्यायालय के फैसले के अंतिम भाग में यह निम्नानुसार देखा गया था: "... हमें ऐसा लगता है कि अनुबंध से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यह अनुबंध के लिए आकस्मिक था कि एक्सल–बॉक्स बॉडी का निर्माण बेल्जियम में किया जाएगा, वहां निरीक्षण किया जाएगा और कंसाइनी के लिए भारत में आयात किया जाएगा। बेल्जियम से माल की आवाजाही भारत के लिए निर्धारिती और आपूर्ति महानिदेशक के बीच अनुबंध की शर्तों के अनुसरण में था। इन सामानों को किसी अन्य उद्देश्य के लिए निर्धारिती द्वारा डायवर्ट किए जाने की कोई संभावना नहीं थी। निष्कर्ष, हम मानते हैं कि बिक्री के दौरान हुई थी अधिनियम की धारा 5(2) के अंतर्गत माल का आयात, कराधान से मुक्त है।"

जैसा कि पहले ही कहा गया है, डीजीएसएंडडी के प्रतिनिधि द्वारा बेल्जियम में माल का निरीक्षण किया जाना था, लेकिन बेल्जियम में कोई बिक्री पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि अनुबंध के तहत, डीजीएसएंडडी ने माल के भारत में आगमन पर उसके निरीक्षण का एक और अधिकार सुरक्षित रखा था।

जैसा भी हो, विचाराधीन मामले में हम याचिकाकर्ता डीजीएसएंडडी को प्रिंसिपल के रूप में की गई बिक्री से चिंतित हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, इन बिक्री को प्रभावित करने के लिए, याचिकाकर्ता को विदेशी विक्रेताओं से सामान खरीदना पड़ा और विदेशी विक्रेताओं से ये खरीदारी ही आयात के दौरान माल की आवाजाही का कारण बनी। दूसरे शब्दों में, माल की आवाजाही उन खरीद अनुबंधों के कारण हुई जो याचिकाकर्ता ने विदेशी विक्रेताओं के साथ किए थे। याचिकाकर्ता द्वारा डीजीएसएंडडी के साथ किए गए बिक्री अनुबंध के अनुसरण में आयात के दौरान माल की कोई आवाजाही नहीं हुई। याचिकाकर्ता की डीजीएसएंडडी को की गई बिक्री विदेशी विक्रेताओं से उसकी खरीद से अलग । इसे भिन्न प्रकार से प्रस्तुत करना, याचिकाकर्ता द्वारा डीजीएसएंडडी को की गई बिक्री से आयात नहीं हुआ। यह याचिकाकर्ता द्वारा विदेशी विक्रेताओं से की गई खरीदारी थी जिसके कारण माल का आयात करना पड़ा। खरीद के अनुबंधों के अनुसरण में माल की खरीद और माल का आयात, डीजीएसएंडडी को बिक्री के लिए कोई संदेह नहीं था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होगा कि डीजीएसएंडडी को बिक्री या बिक्री के अनुबंधों के कारण इस देश में माल की आवाजाही हुई। डीजीएसएंडडी और विदेशी विक्रेताओं के बीच अनुबंध की कोई गोपनीयता नहीं थी। विदेशी विक्रेताओं ने स्वयं या याचिकाकर्ता की एजेंसी के माध्यम से डीजीएसएंडडी के साथ कोई अनुबंध नहीं किया और याचिकाकर्ता द्वारा डीजीएसएंडडी को की गई बिक्री के कारण विदेशी देशों से माल की आवाजाही नहीं हुई। अनुबंधों को पूरा करने के लिए माल का आयात और यही कारण था कि पहले डीजीएसएंडडी द्वारा आयात लाइसेंस जारी करने की सिफारिश की गई थी और फिर आयात लाइसेंस के वास्तविक मुद्दे और, जैसा कि बिक्री के अनुबंधों ने उन्हें पूरा करने के लिए माल के आयात की कल्पना की थी आयात के दौरान माल की आवाजाही डीजीएसएंडडी को बिक्री के अनुबंधों के कारण होती थी, और इसलिए, डीजीएसएंडडी की वो बिक्री थी जो आयात के दौरान माल की आवाजाही के कारण होती थी।

याचिकाकर्ता के लिए आयात लाइसेंस प्राप्त करने के लिए डीजीएसएंडडी की ओर से अनुबंध के तहत कोई दायित्व नहीं था। दूसरी ओर, डीजीएसएंडडी द्वारा की गई आयात लाइसेंस की सिफारिश में आयात लाइसेंस जारी करने के लिए आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक पर कोई अनिवार्य दायित्व नहीं था। हालाँकि अनुबंध के तहत डीजीएसएंडडी ने आयात अनुशंसा प्रमाणपत्र सहित अनुबंधों को पूरा करने के लिए माल के आयात के लिए सभी सुविधाएं प्रदान करने का वचन दिया था, लेकिन इन सुविधाओं को खरीदने के लिए डीजीएसएंडडी पर कोई पूर्ण दायित्व नहीं था और, आयात लाइसेंस प्राप्त करना याचिकाकर्ता का दायित्व था। इसलिए, भले ही अनुबंधों में माल के आयात और आयातित माल में से डीजीएसएंडडी को उनकी आपूर्ति की परिकल्पना की गई हो,

सैद्धांतिक रूप से हमें इस मामले को कॉफी बोर्ड मामले के फैसले से अलग करने का कोई कारण नजर नहीं आता, हालांकि वह मामला उस सवाल से जुड़ा था जब बिक्री के दौरान निर्यात के दौरान माल की आवाजाही होती है।

परिणामस्वरूप, जहां तक याचिकाकर्ताओं का संबंध है, हम अनुबंध पी–1 आदेश को रद्द करते हैं और रिट याचिकाओं को लागत के साथ स्वीकार करते हैं।

एस.सी याचिकाएं स्वीकृत

(1)[1952] एस सी आर. 1112.
(2)[1970] 3 एस सी आर 147
(3)(1) [1954] एससीआर, 53,63
(4)(2) [1964] 7 एससीआर 706

This is word to word True Vetting/ Validation of the Judgements done by Prateek Mathela.